न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाराणसी।

आज पत्रावली मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित पेश हुई। पत्रावली/चालानी रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

दिनांक 31.12.2021 के पूर्व प्रेषित मोटर वाहन से संबंधित चालानी रिपोर्ट के उपशमन के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांकित 22.03.2023 विधायी अनुभाग-1 संख्या-22/79-वि-1-2023-2-क-2-2023 लखनऊ, 22.03.2023 में यह उपबंध किया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अद्यादेश, 2023(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-2 सन् 2023) जिसमें गृह (पुलिस) अनुभाग-9 प्रशासनिक रूप से संबंधित है, में दिनांक 31.12.2021 तक के मोटर वाहन अधिनियम से बाद उपशमित कर दिये गये है।

अतः उक्त शासनादेश के अनुक्रम में प्रस्तुत प्रकरण उपशमित किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही अविलम्ब दाखिल दफ्तर हो।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
वाराणसी।